जिला प्रशासन

जिला प्रशासन का संगठन

संभागीय आयुक्त
↓
जिला कलक्टर
↓
- DLO (जिला स्तरीय अधिकारी)
- Adm (अतिरिक्त जिला कलक्टर)
  - जेल प्रशासन
  - कानून व्यवस्था
    - SP (पुलिस अधीक्षक) → (अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक) AdSP → DYSP (पुलिस उपाधीक्षक) → CI → SI → ASI → HC → कांस्टेबल
  - विकास प्रशासन
    - CEO (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) → ACEO (अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी) → BDO (खण्ड विकास अधिकारी) → ADO (अति. विकास अधिकारी) → Assistant Dev. Officer (सहायक विकास अधिकारी) → VDO (ग्राम विकास अधिकारी)
  - राजस्व प्रशासन
    - SDM (उपखण्ड अधिकारी) → TDR (तहसीलदार) → RI (गिरदावर) → पटवारी

संभागीय आयुक्त (DC)

- **राजस्थान में** – 7 DC
- **भारत में :** 1829 में पद का सृजन

  ↓
- **स्वतंत्रता पश्चात : राजस्थान में** जयपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर बीकानेर, संभाग

  ↓

  1962 में समाप्त

  ↓

  1987 में पुनः प्रारम्भ – अजमेर नया संभाग

  ↓

  2005 – भरतपुर को नया संभाग

- **नियुक्ति :–** वरिष्ठ IAS अधिकारी को राज्य सरकार द्वारा।
- **कार्यकाल :– निश्चित नहीं**
- **मुख्य कार्य :–**

  (1) समन्वय (राज्य व जिले के मध्य)

  (2) जिले के समस्त प्रशासनिक विभागों पर नियंत्रण व समन्वय

  (3) क्षेत्रीय विकास परियोजना (Area Project) का संचालन जैसे –

  अजमेर – बीसलपुर Project, **कोटा – चम्बल Dev.**

  जोधपुर – Desert Dev., **उदयपुर – Tribal Dev.,**

  भरतपुर – चम्बल Dev.

Springboard ACADEMY

जिला कलक्टर

जिला शब्द का प्रयोग
- **233 जिला न्यायाधीश**
- **243 जिला परिषद**

➢ **पद की स्थापना :–** 1772 वॉरेन हेस्टिग्ज के समय

➢ **प्रथम कलक्टर :–** रॉल्फ शैल्डन

➢ **कलक्टर के** Deputy Commissioner – बिहार, कर्नाटक, हरियाणा

➢ अन्य नाम :– DM - WB/ UP पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश

➢ **नियुक्ति –** राज्य सरकार द्वारा IAS को, जिसे 5–7 वर्ष का अनुभव

➢ **कार्यकाल – निश्चित नहीं**

➢ **नियुक्ति की प्रणाली**
- **सीधी भर्ती**
- **पदोन्नत RAS से**

➢ **Article :- 311** में पद की सुरक्षा (केन्द्र सरकार की अनुमति से ही निलम्बन)

➢ कलक्टर को **Mini – Government** के रूप में भी जाना जाता है।

➢ **रैम्जे मेक्डॉनल्ड के अनुसार "कलक्टर का पद ऐसा कछुआ है जिसकी पीठ पर भारत सरकार सवार है।"**

कार्य :–

(1) प्रशासनिक कार्य :–

➢ जनगणना करवाना।

Springboard ACADEMY

- चुनाव करवाना – MP, MLA, पंचायतीराज (PRI), सहकारी संस्था
- जन शिकायतों को सुनना
- डाक बंगला व सर्किट हाउस नियंत्रण
- सरकारी आवासों को आवंटित करना
- प्रशासनिक कार्यालयों का निरीक्षण
- जिले में खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करना।
- कर्मचारियों सेवा अभिलेख संधारण संबंधी कार्य (ACR)
- सरकारी कार्यक्रमों का प्रचार – प्रसार

(2) जिला कलेक्टर के रूप में या राजस्व संबंधी कार्य :–

- भूराजस्व, कृषिकर, सिंचाई कर, स्टाम्प ड्यूटी का संग्रहण
- भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही करवाना।
- भू–अभिलेखों को सुरक्षित करना।
- निरीक्षण संबंधी कार्य (ADM, SDM, तहसीलदार, RI, पटवारी, कार्यालयों का)
- राजस्व मुकदमों की सुनवाई करना।
- जिला राजकोष पर नियंत्रण रखना।
- Land Conversion (भू रूपान्तरण) संबंधी कार्य।

(3) जिला दण्डनायक के रूप में कार्य :–

- कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखना।
- जिला पुलिस पर नियंत्रण रखना व वार्षिक रिपोर्ट गृह विभाग को प्रेषित करना।
- पुलिस थानों व डायरियों का निरीक्षण

Springboard ACADEMY

➢ CRPC के Section 144 के तहत सुनवाई

➢ रात्री में पोस्टमार्टम की अनुमति प्रदान करना।

➢ जाति, निवास, अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करवाना।

➢ ट्रेडमार्क एक्ट, चीन कारखाना, Press Act नियंत्रण कानून, Entertainment Act के तहत कार्यवाही।

➢ शस्त्र लाइसेंस जारी करना।

(4) जिला विकास अधिकारी के कार्यः—

➢ जिला आयोजन समिति के माध्यम से जिले की विकास योजना बनाना

➢ विकास योजना में बाधक तत्वों की पहचान

➢ संभागीय आयुक्त को व राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रेषित करना।

नोटः— GVK राव कमेटी व मेहता समिति की सिफारिश पर विकास कार्यो हेतु पृथक पद सोपान की सिफारिश

(5) समन्वयक के रूप में कार्य :—

➢ राज्य सरकार से

➢ जिले के सरकारी विभागों में

➢ निजी संगठन के साथ

➢ सैन्य प्रशासन के साथ

➢ केन्द्र सरकार के विभागो का साथ

➢ दवाब समूह, स्वयं सेवी संगठन के साथ

(6) आपदा निवारक अधिकारी 2005 :—

Springboard ACADEMY

- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्य (अकाल, बाढ़, सूखा भूकम्प, आतंकवादी घटना)

(7) प्रोटॉकाल कार्य :–

- गणमान्य व्यक्तियो की आगवानी करना (जैसेः– मुख्यमंत्री, राज्यपाल, केबिनेट मंत्री, संवैधानिक आयोगो के अध्यक्ष आदि)

(8) निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य :–

- MP, MLA, पंचायती राज, सहकारी समितियों आदि के चुनाव करवाना।

नोटः– कलेक्टर MP के चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में कार्य करता है।

महत्वपूर्ण तथ्य

(1) लाखीना पैटर्न – 1984 अनिल कुमार लाखीना द्वारा महाराष्ट्र में शुरूआत की गई। इसका संबंध जिला प्रशासन से है। इसमें कार्य सरलीकरण, Single Window System जैसे नवाचार हुए।

(2) जिला सरकार अवधारणा : 1999–2000 मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के समय मंत्री को जिले का प्रभारी बनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (SDM)

- जिला व तहसील के मध्य प्रशासनिक इकाई।
- RAS अधिकारी को नियुक्ति → **सीधी भर्ती से** / **पदोन्नति (RTS से)**
- नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा
- कार्यकाल – निश्चित नहीं
- Total Sub Division – 299
- **अन्य नामः–** UP - राजस्थान – SDO, TN – Sub Collector, महाराष्ट्र – प्रान्त अधिकारी
- SDO को जिला कलक्टेर को "आँख व कान" भी कहते हैं।

(1) भू–राजस्व अधिकारी के रूप में –

- नक्शें व भू अभिलेख तैयार करवाना।
- निरीक्षण :– तहसीलदार, नायब तसीलदार, गिरदावर, पटवारी के कार्यालयों का
- भूमि सीमांकन व चिह्निकरण का कार्य
- उपखण्ड में फसल की स्थिति का आकलन
- 5000 वर्ग मी. तक भू–रूपांतरण संबंधी कार्य
- राजस्व संग्रहण करवाना
- विभिन्न राजस्व विवादों का निपटारा

Springboard ACADEMY

(2) दण्डनायक के रूप में :–

- उपखण्ड में कानून व शांति व्यवस्था बनाये रखना।
- उपखण्ड में जेल व पुलिस थानों का निरीक्षण करना।
- उपखण्ड में धारा 144 लागू करना।

(3) प्रशासनिक अधिकारी के रूप में :–

- जन शिकायतो का निवारण/निस्तारण
- गरीबी रेखा (BPL) के नीचे लोगों की पहचान
- राजस्व अभियानों का संचालन – प्रशासन गांवों के संग, न्याय आपके द्वारा कार्यक्रम इत्यादि।

(4) चुनाव अधिकारी

- BLO की नियुक्ति
- उपखण्ड में चुनावों की व्यवस्था
- मतदाता सूचियों को अद्यतन/नवीनीकरण करवाना

Springboard ACADEMY

तहसीलदार

- Total – 368 (339 + 29), नयी तहसील – 29
- नियुक्ति – RB द्वारा –
  - **सीधी भर्ती – 66 प्रतिशत**
  - **पदोन्नति – 34 प्रतिशत**
- प्रशिक्षण – राजस्व अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान (RRTI) अजमेर व APRTS टोंक में – **6½ माह**

कार्यः–

1. भू – राजस्व अधिकारी के रूप में:–

- जमाबन्दी, नक्शे, नामान्तरण आदि को सुरक्षित रखना।
- पटवारी, कानूनगो, गिरदावर कार्यालय का निरीक्षण।
- नामांतरण निस्तारण का कार्य।
- भू–राजस्व एकत्रित करवाना।
- आवासीय भूमियों का रूपान्तरण करना।
- सीमाज्ञान करवाना।

2. दण्ड नायक के रूप में:–

- 6 माह सजा व 200 रूपया जुर्माना लगाने की शक्ति।

Springboard ACADEMY

3. प्रशासनिक अधिकारी के रूप में:–

- जनगणना कार्य।
- तहसील स्तर पर शिकायतें सुनना।
- विभिन्न प्रमाण पत्र – मूल निवास, हैसीयत प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र तस्दीक करना।
- निर्वाचक नामावली तैयार करवाना।

4. उप पंजीयक के रूप में:–

- विभिन्न दस्तावेजों की रजिस्ट्री करना।

5. उप राजकोष अधिकारी के रूप में – उपराजकोष पर नियंत्रण रखना।

6. अन्य कार्य के रूप में

- PWD में भूमि आवाप्ति अधिकारी के रूप में कार्य
- नगर–निगम में तहसीलदार के रूप में कार्य
- वन विभाग में सहायक वन अधिकारी के रूप में कार्य
- भू–प्रबंधन विभाग में सहायक भू प्रबंधन अधिकारी के रूप में कार्य

Springboard ACADEMY

पटवारी

- **भर्ती :–** राजस्व मण्डल की अनुशंसा पर अधीनस्थ बोर्ड द्वारा
- **भर्ती संबंधी नियम :–** राजस्व मण्डल द्वारा बनाये जाते है।
- **नियुक्ति अधिकारी –** जिला कलक्टर
- **स्थानान्तरण –**
  - ✓ जिले में – कलेक्टर
  - ✓ संभाग – DC
  - ✓ राजस्व मण्डल – राजस्थान में कही भी
- Training – पटवार प्रशिक्षण केंद्र (उदयपुर, जयपुर, गंगानगर, अलवर, कोटा आदि)
- राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग **(अध्यक्ष – हरिश्चन्द्र माथुर)** – पटवारी का **'लेखपाल' नाम सुझाया।**

कार्य :–

(1) भू–अभिलेख संधारण :–

- नक्शों, रजिस्टरों, भूमि की प्रकृति, क्षेत्रफल, मालिकाना हक, फसल की स्थिति, सिंचाई के साधन, मानचित्र आदि संधारण।
- जमा बन्दी, मुकदमा विवरण, नामांतरण पंजिका संधारण, गिरदावरी रिपोर्ट आदि से सरंक्षित करनां

(2) भू – राजस्व संग्रहण :–

- राजकोष में जमा
- सरकार द्वारा निर्धारित लगान ही वसूल करना।
- निर्धारित समय सीमा में राजस्व संग्रहण करना।

Springboard ACADEMY

(3) भूमि सुधार :–

- हदबन्दी
- चकबन्दी

(4) राजस्व अभियानों की क्रियान्विति :–

- चकबन्दी अभियान
- प्रशासन गांवो के संग
- न्याय आपके द्वार कार्यक्रम
- भूमि अभिलेख का कम्प्यूटरीकरण

(5) आपात सहायता :–

- प्राकृतिक आपदा में फसलों के नुकसान का आकलन व प्रभावित परिवारों की पहचान जैसेः– अकाल, बाढ़, भूकम्प, सूखा, तूफान, टिड्डी दल आक्रमण आदि।

(6) ग्रामीण विकास :–

- गाँवों में कल्याणकारी व विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में पटवारी की महत्वपूर्ण भूमिका।

(7) अन्य कार्य :–

- अतिक्रमण की रिपोर्ट
- पशुगणना, निर्वाचन कार्य में सहायता
- सीमा ज्ञान करवाना।
- नामान्तरण का प्रस्तुतीकरण

Springboard ACADEMY

पुलिस अधीक्षक

- भारत में एस पी पद का सृजन = 1808 ई.
- DYSP पद – 1902 ई. में सृजित हुआ।
- भारतीय पुलिस, पुलिस अधिनियम – 1861 के तहत कार्य करती है।
- पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति :–
  - ✓ डायरेक्ट IPS (सीधी भर्ती)
  - ✓ पदोन्नति द्वारा IPS
- कार्यकाल – अनिश्चित (राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त)
- पद की सुरक्षा – अनुच्छेद 311 के तहत

कार्यः–

- जिला पुलिस का नियंत्रण व नेतृत्वकर्ता
- जिला कलेक्टर के साथ मिलकर शांति व्यवस्था बनाए रखना।
- पुलिस संपत्ति, भवन, वाहन, हथियार, दस्तावेजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- पुलिस कार्मिकों का मनोबल व अनुशासन बनाए रखना।
- **कार्मिक प्रशासन संबंधी कार्यः– पदोन्नति, स्थानान्तरण (CI** तक)
- FIR की प्रगति व निपटारों की समीक्षा।
- जिले में डीकॉय ऑपरेशन करना।
- विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन का क्रियान्वयन (ऑपरेशन AAG, ऑपरेशन मिलाप)
- अन्य विभागों के साथ समन्वय रखना।

कमिश्नरेट व्यवस्था

- सामान्य पुलिस जिले में :– SP
- वही कमिश्नरेट व्यवस्था में सामान्यतया IG रैंक का अधिकारी होता है। जो अधिक सशक्त व मजिस्ट्रेट शक्तियों से युक्त होता है।
- राजस्थान में सर्वप्रथम भैरों सिंह शेखावत द्वारा इस व्यवस्था हेतु प्रयास किए गए।
- राजस्थान में 1 जनवरी 2011 से शुरूआत –

  जयपुर – प्रथम – बी.एल. सोनी

  वर्तमान – आनन्द श्रीवास्तव

  जोधपुरः– प्रथम – भूपेन्द्र कुमार दक

  वर्तमान – जोस मोहन

- **आवश्यकता क्यों :–**
  - ✓ कार्य शीघ्रता से करने हेतु (For Quick Action)
  - ✓ पुलिस के मनोबल में वृद्धि हेतु
  - ✓ कलक्टर का कार्यभार कम करने हेतु
  - ✓ जनता को पुलिस व दण्डनायक के कार्य एक छत के नीचे उपलब्ध
- **कमिश्नर की शक्तियाँ :–**
  - ✓ शस्त्र लाइसेंस जारी करना।
  - ✓ शांति भंग में गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत देने का अधिकार
  - ✓ शहर में कर्फ्यू या धारा 144 लगाने की अधिकार।
  - ✓ CRPC की धारा – 107 से 124, 133, 134, 135, 144, 144 A के तहत कार्य।

Springboard ACADEMY

राजस्थान लोक सेवा आयोग

(मेरिट पद्धति का वॉच डॉग)

- राजस्थान में प्रथम लोक सेवा आयोग का गठन जोधपुर में किया गया।
- आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका उल्लेख संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक है।
- **स्थापना :–** 16 अगस्त 1949 को जयपुर में की गई लेकिन सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर अजमेर स्थानान्तरित किया गया।
- **प्रथम अध्यक्ष –** एस. के. घोष
- **प्रथम पूर्ण कालिन अध्यक्ष –** एस. सी. त्रिपाठी
- **वर्तमान अध्यक्ष –** श्री भूपेन्द्र यादव
- **प्रथम सचिव –** श्री श्यामसुन्दर शर्मा
- **वर्तमान सचिव –** शुभम चौधरी (आई.ए.एस.)
- सर्वाधिक कार्यकाल – डी.एस. तिवाड़ी (अध्यक्ष के रूप में)
- न्यूनतम कार्यकाल – पीएस यादव (37 दिन) (अध्यक्ष के रूप में)
- 7 सदस्यों का प्रावधान – 2011 से

संगठन

- एक अध्यक्ष व 7 सदस्यों का प्रावधान :–
- अध्यक्ष व सदस्यो की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। (अनुच्छेद – 316 (1))
- लोक सेवा आयोग में कम से कम आधे सदस्य संघ या राज्य की लोक सेवाओं से होने चाहिए व अन्य आधे सदस्य शिक्षाविद, समाज सेवक, राजनेता, वकील हो सकते है।

पदावधिः–

- 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो पहले पूर्ण हो। (41वें संशोधन द्वारा 60 से 62 वर्ष आयु सीमा)
- कार्यकाल पूरा होने के पश्चात् अध्यक्ष व सदस्य अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकते है।
- ना ही राज्य के बाहर किसी लोक सेवा आयोग में सदस्य नियुक्त हो सकते हैं।
- **सदस्य –** अन्य लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष व संघ लोक सेवा आयोग में सदस्य व अध्यक्ष नियुक्त हो सकते है।

त्याग पत्रः–

- राज्यपाल को संबोधित करते है।

Springboard ACADEMY

➢ उल्लेखनीय है कि अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने की शक्ति राष्ट्रपति को है।

सदस्यों व अध्यक्ष को हटाने का आधार :–

1. कदाचार
2. पद का दुरूपयोग
3. लाभ का पद ग्रहण करना
4. दिवालियापन
5. शारीरिक व मानसिक अयोग्यता

हटाने की प्रक्रिया :–

➢ राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायलय को जांच सौंपी जाती है।

➢ उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद पद से हटाया जा सकता है।

➢ उल्लेखनीय है कि जांच के दौरान राज्यपाल सदस्य या अध्यक्ष को पद से निलम्बित कर सकता है।

वेतन भत्ते :–

➢ राज्य की संचित निधि से अध्यक्ष को 2 लाख 25 हजार व सदस्यों को 2 लाख 15 हजार वेतन देय है।

राजस्थान लोक सेवा आयोग की शक्तियों का स्त्रोत निम्नलिखित विनियम हैं–

➢ राजस्थान लोक सेवा आयोग (सेवा शर्त) विनियम 1951

➢ राजस्थान लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम 1951

➢ राजस्थान लोक सेवा आयोग नियम व विनियम 1963

➢ राजस्थान लोक सेवा आयोग अधिनियम 1976

राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्य

➢ राज्य सरकार की अनुशंसा पर विभिन्न भर्तियों का आयोजन करना। (RAS, SI, RFS)

➢ **राज्य सरकार को विभिन्न मामलों में सलाह देनाः–**

✓ भर्त्ती की पद्धति

✓ पदोन्नति व स्थानान्तरण के सिद्धांत

✓ किसी कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कें संदर्भ मे।

➢ संविधान के अनुच्छेद 323 (2) के तहत राज्यपाल को वार्षिक प्रतिवदेन सौंपना

➢ विभिन्न विभागीय पदोन्नति समितियों का संचालन (DPC)

➢ नोटः– लोक सेवा आयोग से संबंधित संविधान के अनुच्छेद – 16, 234, 315, 323

Important Article

- 315 :– एक लोक सेवा आयोग
- 315 (2) संयुक्त लोक सेवा आयोग
- 316 – सदस्यो की नियुक्ति
- 317 – बर्खास्तगी व निलम्बन
- 320 – कर्तव्य व कार्य
- 323 – लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट

नोटः– दो या दो से अधिक राज्यो की अनुरोध पर राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। अनुच्छेद – 315(2)

Springboard ACADEMY

राजस्थान में लोकायुक्त

- राजस्थान में लोकायुक्त पद की स्थापना हरिशचन्द्र माथुर आयोग (राजस्थान) व प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसा पर 3 फरवरी 1973 को हुई।
- लोकायुक्त व उपलोकायुक्त अधिनियम, 1973 में लागू हुआ।
- भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त कानून 1970 में उड़ीसा में पारित हुआ। लेकिन लोकायुक्त संस्थान की सर्वप्रथम स्थापना महाराष्ट्र में 1971 में हुई।
- राजस्थान में प्रथम लोकायुक्त – आई.डी. दुआ
- प्रथम उप–लोकायुक्त – के.पी.यू. मेनन
- न्यूनतम कार्यकाल – विनोद शंकर दवे
- वर्तमान लोकायुक्त – पी.के. (प्रताप कृष्ण) लोहरा
- राजस्थान में 2014 में लोकायुक्त संस्थान को और अधिक सशक्त बनाने के लिए नरपतमल लोढ़ा समिति का गठन किया गया।
- **लोकायुक्त के अन्य नाम निम्न है–**
  1. पब्लिक मैन – केरल
  2. भ्रष्टाचार निरोधी अधिकरण – जम्मू एण्ड कश्मीर
  3. कमिशनर ऑफ इन्क्वारीज – तमिलनाडु

नियुक्ति :–

- राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सिफारिश पर
- मुख्यमंत्री विपक्ष के नेता व राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करेगा।

योग्यताः–

- सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या राज्य उच्च न्यायायलय का मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष

कार्यकालः– 5 वर्ष

- 2018 में संशोधन द्वारा कार्यकाल 5 से 8 वर्ष किया गया जिसे 2019 में पुनः संशोधन द्वारा 8 से 5 वर्ष कर दिया गया हैं।

वेतन भत्ता –

- उच्च न्यायायलय के मुख्य न्यायाधीश के समान वेतन व पेशन सुविधायें प्राप्त है।

त्यागपत्र

- राज्यपाल को

Springboard ACADEMY

- **शपथ** राज्यपाल द्वारा दिलवानी जाती है।
- **वार्षिक प्रतिवेदन** राज्यपाल को सौंपता है।

हटाने की प्रक्रियाः–

- राज्यपाल द्वारा लोकायुक्त को निम्न दो आधार पर समय के पूर्व हटाया जा सकता है।

  1 कदाचार,

  2. असमर्थता

नोटः– लोकायुक्त की अनुपस्थिति में उप लोकायुक्त, उप लोकायुक्त की अनुपस्थिति में राज्यपाल के अनुरोध पर राज्य के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित न्यायाधीश लोकायुक्त के रूप में कार्य करेगा।

लोकायुक्त का क्षेत्राधिकार :–

- मंत्रियों, राज्य सरकार के विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच करना।
- जांच के पश्चात् मामले को सक्षम अधिकारी तक कार्यवाही हेतु भेजना।
- दुर्भावना से प्राप्त शिकायत पर शिकायतकर्ता को दण्डित करना।
- स्वयं की पहल पर भ्रष्टाचार की जांच करना।
- अधिकारी एवं कर्मचारी को सूचना या साक्ष्य हेतु कार्यालय बुलाना।

नोटः– कोई भी लोक सेवक लोकायुक्त की शिकायत नहीं कर सकता है।

लोकायुक्त के कार्य क्षेत्रः–

- मंत्री
- लोक सेवक
- जिला प्रमुख व उप जिला प्रमुख
- पंचायत समिति प्रधान व उप प्रधान
- पंचायत समिति की स्थायी समितियों के अध्यक्ष
- महापौर एवं उप महापौर
- नगर पालिका की स्थायी समितियों के अध्यक्ष
- यू.आई.टी. के अध्यक्ष

लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार के बाहर

- मुख्यमंत्री
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश व अन्य न्यायिक सदस्य
- महालेखाकार, राजस्थान

Springboard ACADEMY

- आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन अधिकारी
- सचिवालय व विधानसभा के कर्मचारी
- विधायक
- सरपंच व पंच

शिकायत की प्रक्रियाः–

सचिव को संबोधित कर (डाक या स्वयं उपस्थित होकर)

↓

शिकायतकर्ता का पूर्ण विवरण

↓

लोक सेवक का नाम, पद नाम, साक्ष्य (जिसके विरूद्ध शिकायत की जा रही है)

↓

स्वयं का शपथ पत्र भी देना होता है।

↓

नोटः–

1. लोकायुक्त को 5 वर्ष से पुराने मामलो में शिकायत नहीं की जा सकती है।
2. लोकायुक्त स्वयं कार्यवाही करने में असक्षम है। यह केवल सलाहकारी निकाय है।

Springboard ACADEMY

राज्य मानवाधिकार आयोग

- इसकी स्थापना 20 मार्च 2000 को हुई।
- मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 में राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन का प्रावधान किया गया।
- शुरूआत में 1 अध्यक्ष व 4 सदस्यों का प्रावधान किया गया। लेकिन 2006 के संशोधन के पश्चात् वर्तमान में 1 अध्यक्ष व 2 सदस्यों का प्रावधान है।
- प्रथम अध्यक्ष – कान्ता भटनागर
- वर्तमान अध्यक्ष – जी.के. व्यास
- वर्तमान सदस्य – महेश गोयल (आईपीएस), दूसरा पद वर्तमान में रिक्त है
- सदस्य के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल – पुखराज सीरवी (7 वर्ष)
- सदस्य के रूप में न्यूनतम कार्यकाल – नमोनारायण मीणा (1 वर्ष)

नियुक्ति :–

- राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा।
- **समिति के सदस्य :–** मुख्यमंत्री (अध्यक्ष) विधानसभा अध्यक्ष, गृहमंत्री, विपक्ष के नेता
- राज्य में विधानपरिषद की स्थिति में विधानपरिषद के सभापति व विपक्ष के नेता भी समिति के सदस्य होगें।

पदावधि :–

- 3 वर्ष या 70 वर्ष (2016 के संशोधन के पश्चात्)
- अध्यक्ष एवं सदस्यों की पुनर्नियुक्ति का प्रावधान।

हटाने का अधिकार :–

- राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई जांच के पश्चात् समय से पूर्व भी हटाया जा सकता है।

हटाने का आधार :–

1. कदाचार
2. अक्षमता
3. दिवालियापन
4. शारीरिक दुर्बलता
5. नैतिक पतन

Springboard ACADEMY

वार्षिक प्रतिवेदन

- आयोग वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को सौपेगा।
- राज्य सरकार इसको विधानसभा में रखती है।
- विधानसभा को इसकी सिफारिशों को अस्वीकार करने का कारण बताना पड़ता है।

शिकायत :–

- 8 वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा में शिकायत की जा सकती है।
- शिकायत हेतु फीस का प्रावधान नहीं है।
- शिकायत ई–मेल या फैक्स द्वारा भी की जा सकती है।

कार्य एवं शक्तियाँ :–

1. स्वप्रेरणा या पीड़ित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत याचिका पर मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करना।
2. राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन जेल या अन्य संस्थानों का निरीक्षण करना।
3. मानवाधिकार संरक्षण में बाधक तत्वों की पहचान करना।
4. मानवाधिकार क्षेत्र में शोध व अनुसंधान को बढ़ावा देना।
5. सिविल न्यायालय की प्राप्त शक्तियों के अन्तर्गत गवाह को सम्मन जारी करना, न्यायालय या कार्यालय से विभिन्न दस्तावेजों की प्रतिलिपी मांगना।
6. मानवधिकार के क्षेत्र में काम करने वाले एनजीओ को प्रोत्साहित करना व मानवाधिकार साक्षरता का प्रचार–प्रसार करना।

नोट :–

आयोग के पास जांच हेतु स्वयं का एक अन्वेषण दल है। जिसका मुखिया राजस्थान पुलिस की आईजी रैंक का अधिकारी होता है।

वे मामले जिनमें शिकायत नहीं की जा सकती है –

1. घटना जिसे 1 वर्ष हो गया हो।
2. न्यायालय में विचाराधीन मामले
3. शिकायत अस्पष्ट हो
4. शिकायत का संबंध सेना से हो

2016 के संशोधन के पश्चात् :–

- अध्यक्ष व सदस्यो की पदावधि 3 वर्ष या 70 वर्ष है व सभी पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र है।
- आयोग का अध्यक्ष पूर्व में केवल राज्य का मुख्य न्यायाधीश ही बन सकता था लेकिन इस संशोधन के पश्चात् हाईकोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी अध्यक्ष बनने हेतु पात्र है।

Springboard ACADEMY

राज्य निर्वाचन आयोग

- यह एकसदस्यीय आयोग है।
- 73 वें 74 वें संविधान संशोधन के तहत– जुलाई, 1994 में स्थापना हुई।
- संविधान के प्रावधान – अनुच्छेद 243 (K), 243 (ZA)
- योग्यताः– प्रधान सचिव के समकक्ष लोकसेवक को नियुक्त किया जाता है।
- नियुक्ति – राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सिफारिश पर
- कार्यकाल – 5 से 65 वर्ष
- हटाने का अधिकार – राष्ट्रपति को (उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति महाभियोग द्वारा)
- वेतन भत्ते – राज्य की संचित निधि पर भारित
- प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त – अमर सिंह राठौड़
- वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त – प्रेम सिंह मेहरा (जुलाई 2017 से)

  नोटः– राजस्थान में प्रथम पंचायती राज चुनाव 1960 व प्रथम शहरी निकायो के चुनाव 1963 में सम्पन्न हुये।

कार्य :–

- निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन एवं आरक्षण संबंधी कार्य
- मतदाता सूचियों का नवीनीकरण
- चुनाव चिह्नों का आवंटन करना
- चुनाव के समय आदर्श आचार संहिता लागू करना।
- शांतिपूर्वक चुनाव सम्पन्न करवाना।

संरचना

↓

राज्य निर्वाचन आयुक्त

↓

सचिव

↓

उपसचिव

↓

जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला कलक्टर)

Springboard ACADEMY

राज्य सूचना आयोग

गठन :–

- धारा 15 के तहत 18 अप्रैल, 2006 को स्थापना हुई व इसका कार्यालय जयपुर में स्थित है।
- प्रथम अध्यक्ष – एम. डी. कोरानी
- वर्तमान अध्यक्ष – श्री डी. बी. गुप्ता (दिसम्बर, 2020 से)
- वर्तमान सदस्य – राजेन्द्र प्रसाद बरवड, लक्ष्मण सिंह राठौड़, नारायण बारेहठ, शीतल धनकड़

अध्यक्ष व सदस्य :–

- 1 (अध्यक्ष) + 10 (सदस्य)
- सूचना आयुक्त – विज्ञान, तकनीक, कानून, समाजसेवा, पत्रकारिता आदि क्षेत्रो के विशेषज्ञ होते हैं।

नियुक्तिः–

- राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर
- समिति के सदस्य – 1. मुख्यमंत्री (अध्यक्षता)
  2. विधानसभा के विपक्ष के नेता
  3. मुख्यमंत्री द्वारा मनोनित केबिनेट मंत्री

कार्यकाल :–

- 5 या 65 वर्ष
- मुख्य सूचना आयुक्त – पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं है।
- सूचना आयुक्त – मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किये जा सकते है।

वेतन भत्ता :–

- मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन – राज्य निर्वाचन आयुक्त के समान
- सूचना आयुक्त का वेतन – राज्य के मुख्य सचिव के समान

हटाने का आधार :–

1. कदाचार

2. असमर्थता

सर्वोच्च न्यायालय की जांच पर राज्यपाल द्वारा हटाया जाता है।

Springboard ACADEMY

कार्य व शक्तियाँः–

- सूचना के अधिकार व अधिनियम की क्रियान्विति सुनिश्चित करना।
- अपीलीय शक्तियाँः– प्रथम अपील अधिकारी के विरूद्ध अपील सुनने का अधिकार
- **शास्ति (जुर्माना) अधिरोपित करने की शक्ति –** सूचना अधिकारी द्वारा आवेदन लेने से मना करने पर, तय समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं करवाने पर, अधूरी, अशुद्ध सूचना देने पर (नोटः– जुर्माना प्रतिदिन 250 रूपये अधिकतम 25,000 तक लगाया जा सकता है।)
- **परिवाद संबंधी शक्तियाः–** सूचना अधिकारी द्वारा आवेदन लेने से मना करने पर, सूचना देने के इंकार करने पर, भ्रामक सूचना देने पर सुनवाई का अधिकार।

Springboard ACADEMY

राज्यपाल

- राजस्थान में राज्यपाल को पूर्व में राजप्रमुख नाम से जाना जाता था। (1956 तक)
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत राज्य में राज्यपाल पद की व्यवस्था की गई।
- 7 वें संशोधन 1956 के तहत दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है।

योग्यता :– (अनुच्छेद 157)

- भारत का नागरिक हो।
- 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।
- संसद या विधानमण्डल का सदस्य ना हो।
- लाभ या सरकारी पद पर कार्यरत ना हो।

चयन व नियुक्ति :– (अनुच्छेद 155)

- चयन – केन्द्र सरकार द्वारा
- नियुक्ति – राष्ट्रपति द्वारा केन्द्र द्वारा निर्देशित व्यक्ति को

शपथ :–

- राज्य के मुख्य न्यायाधीश द्वारा
- मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने की स्थिति में उच्च न्यायालय का ज्येष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलवाता है।
- राज्यपाल संविधान व विधि का 'परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण' की शपथ लेते हैं

कार्यकाल :–

- सामान्यतया: 5 वर्ष
- अनुच्छेद 156 के तहत राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करता है।
- नोटः– राज्यपाल को समय से पूर्व हटाने संबंधी प्रावधान का उल्लेख संविधान में नहीं हैं।

वेतन :–

- 3.5 लाख मासिक

शक्तियाँः–

1. कार्यपालक शक्तियाँ –

- विभिन्न नियुक्तियाँ :– मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता, आरपीएससी अध्यक्ष व सदस्य, वीसी, लोकायुक्त, राज्यनिर्वाचन आयुक्त, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य
- राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में सलाह देना।
- राज्य प्रशासन के संचालन हेतु कार्यविधि व नियम बनाना। (अनुच्छेद – 166 (2))
- विभिन्न राज्यों में जनजाति कल्याण मंत्रियों की नियुक्ति करना – मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, ओड़िसा

2. विधायी शक्तियाँ –

- विधानसभा सत्र आहूत व सत्रावसान करना
- विधान परिषद में $\frac{1}{6}$ सदस्यों को मनोनित करना।
- अनुच्छेद 200 के तहत विधेयको को अनुमोदित करना।
- अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करना (अध्यादेश की आयु अधिकतम 6 माह व 6 सप्ताह होती है)।
- विधानसभा में विभिन्न प्रतिवेदन रखना (राज्य वित्त आयोग, आरपीएससी, सीएजी)

3. वित्तीय शक्तियाँ –

- धन विधेयक को अनुमति प्रदान करना।
- राज्य वित्त आयोग का गठन (अनुच्छेद 243 आई व वाई के तहत)

4. न्यायिक शक्तियाँ –

- अनुच्छेद 161 के तहत दण्ड का लघु करण, परिहार, विराम
- राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशो की नियुक्ति में राष्ट्रपति को सलाह देना।
- अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायधीशों की नियुक्ति
- नोटः– राज्यपाल को मृत्यु दण्ड व कोर्ट मार्शल के मामलो में राष्ट्रपति के समान शक्तियाँ प्राप्त नहीं है।

5. स्व–विवेकीय शक्तियाँ – (अनुच्छेद 163 का प्रावधान)

- विधेयक को राष्ट्रपति के अनुमोदनार्थ भेजना (अनुच्छेद 201)
- राज्य में राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करना। (अनुच्छेद 356)
- स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना होने की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति
- विधानसभा को समय से पूर्व विघटित करना (अनुच्छेद 174)

Springboard ACADEMY

राज्यपाल से संबंधित विभिन्न सिफारिशें

- **सरकारिया आयोग (1983)**

  – राज्यपाल राज्य से बाहर का व्यक्ति होना चाहिए।
  – राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर की जानी चाहिए।
  – राज्यपाल हेतु स्थायी कार्यकाल का प्रावधान किया जाना चाहिए।

- **पुंछी आयोग (2007)**

  – राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर की जानी चाहिए जिसके सदस्य प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, गृहमंत्री, संबंधी राज्य का मुख्यमंत्री होंगे।
  – राज्यपाल को समय के पूर्व विधानसभा में महाभियोग द्वारा हटाया जाना चाहिए।

राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यः–

- राज्यपाल को मनमाने ढ़ंग से हटाने पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बालकृष्णन की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने रोक लगाई।
- राज्यपाल से संबंधित विभिन्न समितियाँः–
  प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (1966), तमिलनाडु की राजमन्नार समिति (1969), जम्मू और कश्मीर की भगवान सहाय समिति (1970), सरकारिया आयोग (1983), वैंकेटचेलैया आयोग (2000), पुंछी आयोग (2007)
- राजस्थान के प्रथम राज्यपाल – गुरूमुख निहाल सिंह
- राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल – प्रतिभा पाटिल
- राजस्थान के राज्यपाल जिनका निधन पद पर रहते हुए हुआ – दरबारा सिंह, निर्मलचन्द जैन, शिलेन्द्र कुमार सिंह, श्रीमती प्रभा राव
- राजस्थान में 1992 के राज्य आपातकाल के समय राज्यपाल – डॉ. एम. चेन्नारेड्डी
- राज्यपाल सरोजनी नायडू ने "सोने के पिंजरे में कैद चिड़िया", विजय लक्ष्मी पण्डित ने "वेतन का आकर्षण", पट्टाभी सीतारमैया ने "अतिथि सत्कार करने वाला", मारग्रेट अल्वा ने "HEADACHE" कहा है।

Springboard ACADEMY

मुख्यमंत्री

- मुख्यमंत्री की नियुक्ति (अनुच्छेद 164 (1)) राज्यपाल द्वारा की जाती है
- मुख्यमंत्री द्विसदनात्मक व्यवस्था में दोनो सदनो में से किसी भी सदन से हो सकता है।
- दोनो सदनों से सदस्य नहीं होने की स्थिति में मुख्यमंत्री को छः माह में सदस्य चुना जाना आवश्यक होगा।
- संविधान अनुच्छेद 164 (4) के तहत भ्रष्टाचार में दोषी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता है।
- **कार्यकालः–** सामान्यत 5 वर्ष (राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त)
- **वेतनः–** राज्य विधानमण्डल द्वारा निर्धारित।

मुख्यमंत्री की शक्तियाँः–

1. मंत्रिपरिषद से संबंधित –

- मंत्रिपरिषद का निर्माण
- मंत्रियों में विभाग वितरण संबंधी कार्य
- मंत्रियों की पद मुक्ति
- राज्यपाल व मंत्रिपरिषद के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करना
- मंत्रिपरिषद की बैठक बुलवाना

2. विधायिका से संबंधित –

- सदन में समस्त सरकारी विधेयक मुख्यमंत्री की पूर्वानुमति से रखे जाते है।
- राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अध्यादेश जारी करता है।
- राज्यपाल को विधानसभा भंग करने संबंधी सिफारिश
- विधानसभा सत्र बुलाना।

3. शासन के मुखिया के रूप में –

- सामान्यतया मुख्यमंत्री स्वयं के पास सामान्य प्रशासन, प्रशासनिक सुधार, कार्मिक विभाग आदि रखता है।
- विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना।
- विभिन्न प्रशासनिक गतिविधियों, कार्यक्रमो, अभियानों को क्रियान्वित करना।
- विभिन्न समितियों व आयोगो के सदस्य के रूप में कार्य करना (अंतर्राज्य परिषद, नीति आयोग)
- अध्यक्ष के रूप में कार्य (राज्य आयोजना बोर्ड, मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद)

Springboard ACADEMY

4. विभिन्न संचार माध्यमों से समन्वय

5. जनसम्पर्क संबंधित कार्य

6. मुख्यमंत्री के संवैधानिक कार्य/दायित्व (अनुच्छेद 167) के अनुसारः

- प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह

(क) राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करेगा।

(ख) राज्य के प्रशासन व विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी राज्यपाल मांगे, वह दे

(ग) किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे।

महत्वपूर्ण तथ्य –

- राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री – हीरालाल शास्त्री
- प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री – टीकाराम पालीवाल
- सर्वाधिक कार्यकाल – मोहनलाल सुखाड़िया (17 वर्ष)
- न्यूनतम कार्यकाल – हीरालाल देवपुरा (16 दिन)
- प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री – बरकतुल्ला खान (पद पर रहते हुए मृत्यु)
- प्रथम गैर कॉग्रेस मुख्यमंत्री – भैरोंसिंह शेखावत
- पहली महिला मुख्यमंत्री – वसुंधरा राजे

Springboard ACADEMY

राज्य व्यवस्थापिका

- **राज्य विधानमण्डल :–** राज्यपाल + विधानसभा + विधानपरिषद
- **यदि एक सदनीय व्यवस्था –** राज्यपाल + विधानसभा
- भारत में द्विसदनीय व्यवस्था अर्थात् विधानपरिषद – आंधप्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक (6 राज्यों में)
- हाल ही पश्चिम बंगाल ने भी विधान परिषद हेतु प्रस्ताव पारित किया है।
- जम्मू व कश्मीर में 2019 के कानून अधिनियम द्वारा विधान परिषद समाप्त कर दी गई है।

विधानसभा

संरचना व संगठनः–

- अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 व न्यूनतम 60 हो सकती है।
- **अपवाद–** मिजोरम, आधंप्रदेश, गोआ, सिक्किम
- विधानसभा स्थानों का आवंटन – 1971 की जनसंख्या के अनुसार
- **अनुच्छेद 332 –** ST/SC हेतु आरक्षण
- **अनुच्छेद 333 –** 1 सदस्य (एंग्लो इण्डियन का मनोनयन वर्तमान में इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है।)
- **राजस्थान विधानसभा में वर्तमान सदस्य –** 200

निर्वाचन पद्धतिः– वयस्क मताधिकारी (18 वर्ष की आयु प्राप्त) व्यक्ति मतदाता

सदस्यों की योग्यता –

- भारत का नागरिक हो।
- न्यूनतम आयु 25 वर्ष
- दिवालिया, मानसिक विकृत ना हो।
- संसद द्वारा समय–समय पर निर्धारित अन्य योग्यताएँ।

सदस्यता का अंत –

- दोनो सदनों का सदस्य चुने जाने पर।
- विधानसभा या संसद सदस्य दोनो चुने जाने पर।
- सदन से 60 दिन बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित होने पर।
- दल–बदल कानून के तहत दोष सिद्धी पर।

Springboard ACADEMY

विधानसभा के पदाधिकारी :–

अध्यक्ष व उपाध्यक्ष

❖ **अध्यक्षः–**

- विधान सभा सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत के चुनाव
- कार्यकाल – 5 वर्ष
- अध्यक्ष – उपाध्यक्ष को त्यागपत्र सौंपता है।

अध्यक्ष के कार्य

- विधानसभा बैठकों की अध्यक्षता करना।
- सदन में शांति व्यवस्था व अनुशासन बनाये रखना।
- सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों को स्वीकार या अस्वीकार करना।
- धन–विधेयक संबंधित निर्णय लेना।
- सदस्यों को बोलने की अनुमति प्रदान करना।
- दल – बदल से संबंधित निर्णय लेना।

  नोटः– विधानसभा अध्यक्ष को सदन में मतदान का अधिकार नहीं हैं। केवल किसी विधेयक पर बराबर मत होने की स्थिति में निर्णायक मत विधानसभा अध्यक्ष द्वारा दिया जाता है।

❖ **उपाध्यक्ष**

- उपाध्यक्ष का चुनाव विधानसभा सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से किया जाता है।

कार्यकाल

- अस्थायी सदन
- कार्यकाल – 5 वर्ष
- राज्यपाल द्वारा समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है।
- **नोटः–** आपातकाल में संसद विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है। (एक बार में)

अधिवेशन

- वर्ष में 2 बार (6 माह का अंतराल में)
- नव निर्वाचित विधान सभा का प्रथम सत्र व प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र को राज्यपाल द्वारा सम्बोधित किया जाता है।

Springboard ACADEMY

विधान सभा की शक्तियाँ व कार्यः–

विधायी शक्तियाँः–

- राज्य सूची (61 विषय), समवर्ती सूची (52 विषय) पर कानून बनाना।
- साधारण विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है।

सीमाएँ :–

- आपातकाल की स्थिति में संसद द्वारा कानून बनाये जाते हैं।
- अनुच्छेद 249 के तहत् राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारीत होने पर राज्य सूची पर राज्य सभा द्वारा कानून बनाये जाते हैं।
- कुछ विधेयको में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है जैसे – अन्तर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य (अनुच्छेद 304)

वित्तीय शक्तियाँ :–

- धन विधेयक सर्वप्रथम विधानसभा में पेश किया जाता है।
- अनुदान की मांग पर मतदान केवल विधानसभा में किया जाता है।

मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण

- विभिन्न प्रस्तावों द्वारा जैसेः– प्रश्न व पूरक प्रश्न, निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव
- **नोटः–** अविश्वास प्रस्ताव सर्वप्रथम विधानसभा में लाया जा सकता है।

निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ

- विधानसभा सदस्य निम्नलिखित चुनावो में मतदान का प्रयोग करते है–
  1. राष्ट्रपति का चुनाव
  2. विधानपरिषद के 1/3 सदस्यों का चुनाव
  3. अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव व इनको हटाने की शक्ति भी विधानसभा को है।
  4. राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन
  5. संविधान संशोधन की शक्ति (अनुच्छेद 368)

Springboard ACADEMY

विधानपरिषद

❖ **संरचना व संगठनः–**

➢ विधानसभा द्वारा साधारण बहुमत या उपस्थित का 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर उक्त प्रस्ताव राज्यपाल के अनुमोदन हेतु भेजा जाता है।

➢ राज्यपाल के अनुमोदन के पश्चात् संसद द्वारा प्रस्ताव साधारण बहुमत द्वारा पारित होने पर राज्य में विधान परिषद का गठन किया जाता है।

➢ **वर्तमान में विधानपरिषदः–** आध्र प्रदेश, तेलांगाना, उत्तरप्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र

➢ सदस्यो की संख्या – विधानसभा सदस्यों का अधिकतम 1/3 एवं न्यूनतम 40

निर्वाचन –

➢ 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों द्वारा निर्वाचित

➢ 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा निर्वाचित

➢ 1/12 शिक्षक जिन्हें 3 वर्ष का अनुभव हो। (माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान)

➢ 1/12 जिन्हें स्नातक किये हुए 3 वर्ष हो चुके हो।

➢ 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किये जाते है।

योग्यता

➢ भारत का नागरिक हो।

➢ आयु 30 वर्ष।

➢ संसद द्वारा निर्धारित विभिन्न योग्यताएँ।

सदस्यता की अंत

➢ लाभ का पद ग्रहण करने पर।

➢ दिवालिया घोषित होने पर।

➢ भारत की नागरिकता समाप्त होने पर।

कार्यकाल

➢ विधान परिषद एक स्थायी सदन है।

➢ इसके सदस्यो का कार्यकाल – 6 वर्ष है।

➢ 1/3 सीट प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात रिक्त हो जाती है।

अधिवेशन

➢ वर्ष में 2 बार

Springboard ACADEMY

गणपूर्ति

➢ 1/10 या कम से कम 10 सदस्य

विधान परिषद पदाधिकारी

सभापति व उपसभापति

➢ इनका चुनाव विधान परिषद सदस्यों द्वारा किया जाता है।

➢ इनको हटाने से 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है।

विधान परिषद की शक्तियाँ

विधायी शक्तियाँ

➢ विधानसभा से पारित विधेयक को विधानपरिषद संशोधन सहित लौटा सकती है या 3 माह तक रोक सकती है।

➢ पुनः विधानसभा द्वारा पारित कानून विधान परिषद द्वारा 1 माह तक रोका जा सकता है। अर्थात् विधानपरिषद साधारण विधेयक को अधिकतम 4 माह तक रोक सकती है।
नोटः— संसद की भांति विधान मण्डल में संयुक्त बैठक का प्राबधान नहीं है।

वित्तीय शक्तियाँ

➢ चूंकि धन विधेयक सर्वप्रथम विधानसभा पेश किया जाता है। अतः विधान परिषद धनविधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है। इसके पश्चात् धन विधेयक विधान परिषद द्वारा स्वतः पारित मांग लिया जाता है।

मंत्री परिषद पर नियंत्रण

➢ विधान परिषद में मंत्री परिषद के विरूद्ध निम्नलिखित प्रस्ताव लाये जा सकते है—
काम रोको प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, निन्दा प्रस्ताव

विधान सभा व विधान परिषद में तुलना —

बिन्दु	विधान सभा	विधानपरिषद
साधारण विधेयक	अधिक शक्तिशाली	अधिकतम 4 माह तक विधेयक को रोकने संबंधी शक्ति
धन विधेयक	सर्वप्रथम विधानसभा में	केवल 14 दिन तक रोकने की शक्ति
कार्यपालिका पर नियंत्रण	सभी प्रस्ताव लाये जा सकते हैं।	अविश्वास प्रस्ताव को छोड़कर सभी प्रस्ताव लाये जा सकते है।
निर्वाचन संबंधी शक्ति	राष्ट्रपति, राज्यसभा सदस्य, विधानपरिषद सदस्य	ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं है।

Springboard ACADEMY

विधेयक

- **साधारण विधेयक**
  - **सरकारी विधेयक** — किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक
  - **गैर–सरकारी विधेयक** — किसी मंत्री के अलावा अन्य विधान सभा सदस्य द्वारा प्रस्तुत विधेयक
- **धन विधेयक** — कर अधिरोपण, परिवर्तन, नियमन, ऋण लेने, संचित व आकस्मिक निधि से संबंधित विधेयक

अन्य महत्त्वपूर्ण तथ्य

- प्रथम विधानसभा का गठन – 29 मार्च 1952
- प्रथम विधानसभा में सदस्य – 160
- छठी विधानसभा में सदस्य – 200
- आरक्षण – अनुसूचित जाति–34, अनुसूचित जनजाति–25
- गणपूर्ति – 1/10
- प्रथम अध्यक्ष – नरोत्तम लाल जोशी
- प्रथम महिला अध्यक्ष – श्रीमति सुमित्रा सिंह
- सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष – रामनिवास मिर्धा
- सबसे कम समय तक अध्यक्ष – समर्थ लाल मीणा
- प्रथम उपाध्यक्ष – लालसिंह शक्तावत
- कुल महिला विधायक – 26
- वर्तमान अध्यक्ष – डॉ. सी. पी. जोशी

नागरिक चार्टर

- यह ऐसा दस्तावेज है जो संगठन को पारदर्शी, जवाबदेही, उत्तरदायी व नागरिक अनुकूल बनाता है।

विकास :–

- जॉन मेजर के प्रयासो से सिटीजन चार्टर व्यवस्था की शुरूआत इंग्लैण्ड से 1991 में हुई है।
- भारत में 1996 में मुख्य सचिवो के सम्मेलन ("An Agenda for Effecive and responsive adminstration) व 1997 में मुख्यमंत्रियो के सम्मेलन से सिटीजन चार्टर व्यवस्था की शुरूआत हुई।

कारकः–

- मिशन, लक्ष्य, आउटकम
- मुख्य सेवा क्षेत्र, सेवा वितरण, जिम्मेदार अधिकारी
- नागरिकों की जिम्मेदारी

आदर्श नागरिक अधिकार पत्र की विशेषताएँ –

1. चार्टर सरल होना चाहिए।
2. चार्टर उपभोकाओ से विचार विमर्श कर बनाया जाए।
3. सेवाओं का स्पष्ट उल्लेख।
4. 6 माह में समीक्षा।
5. स्थानीय भाषा का प्रयोग।

लाभः–

1. प्रभावी सेवा वितरण।
2. जनता के प्रति अधिकारियों की जवाबदेही।
3. पारदर्शित में वृद्धि।
4. शिकायत के मामले में सम्पर्क सूत्र की जानकारी।

Springboard ACADEMY

स्थानीय स्वशासन

स्थानीय स्वशासन

- **स्थानीय ग्रामीण स्वशासन**
  - **ग्राम पंचायत**
  - **पंचायत समिति**
  - **जिला परिषद**
- **नगरीय स्थानीय स्वशासन**
  - **नगरपालिका**
  - **नगरपरिषद**
  - **नगरनिगम**
  - **अधिसूचित क्षेत्र समिति**
  - **छावनी बोर्ड**
  - **न्यास पतन**

स्थानीय स्व शासन का विकासः–

- स्वतंत्रता के पूर्व लार्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता था।
- रिपन द्वारा लाये गये प्रस्ताव (1882) को स्थानीय स्वशासन का मेग्नाकार्टा कहा जाता है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख है।
- प्रथम पंचायती राज मंत्री – S K डे
- भारत में पंचायती राज की शुरूआत – 1959 में नागौर के बगदरी गांव से
- 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया।
- संविधान का नया भाग – 9, शीर्षक – पंचायत, 11वीं अनुसूची में 29 विषय जोड़े गये।

पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण समितियाँ एवं सिफारिशें –

- **बलवन्त राय मेहता समिति – 1957**
  – त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था का समर्थन।
  – जिला कलक्टर को जिला परिषद का अध्यक्ष होना चाहिए।
  – राज्य सरकारों को स्थानीय निकायों को धन के पर्याप्त स्रोत उपलब्ध करवाये जाने चाहिए।
- **अशोक मेहता समिति (1977)**
  – द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का समर्थन (मण्डल पंचायत व जिला परिषद)।
  – पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाये।
  – राज्य मंत्रिपरिषद में पंचायतीराज मंत्री की नियुक्ति की जाये।
  – राजनीतिक चुनाव चिह्न पर चुनाव।

- **GVK राव समिति (1985)**
  - जिला विकास कमिश्नर का पद का गठन करना।
  - कलक्टर के नियामकीय व विकासात्मक कार्यो में विभाजन।

- **LM सिंघवी समिति (1986) :–**
  - पंचायतीराज को संवैधानिक मान्यता की सिफारिश।
  - पंचायतीराज न्यायाधिकरणों की स्थापना।

73वें संविधान संशोधन की विशेषताएँ –

ग्राम पंचायत का गठन (अनुच्छेद 243 (A))

- कार्यकाल – 5 वर्ष
- समय से पूर्व भी विघटित हो सकती है।
- खाली होने की स्थिति 6 माह के भीतर पुनः चुनाव का प्रावधान।
- अविश्वास प्रस्ताव – 2 वर्ष पश्चात् लाया जा सकता है जिसमें 3/4 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है।

योग्यता

- न्यूनतम आयु 21 वर्ष
- विधानमण्डल का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो।

ग्राम पंचायत के कार्य एवं शक्तियाँ (अनुच्छेद 243 (G))

1. आर्थिक एवं सामाजिक न्याय के कार्यक्रम बनाना –
2. आर्थिक एवं सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना।

गणपूर्ति

- 1/3 सदस्य

आरक्षण

- पंचायती राज में महिलाओं हेतु 50 प्रतिशत आरक्षण प्रावधान है।

राज्य निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 243 (K))

राज्य वित्त आयोग (अनुच्छेद 243 (I))

- प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात् वित्त आयोग के गठन का प्रावधान।
- राजस्थान अब तक 6 वित्त आयोगों का गठन हो चुका है।

Springboard ACADEMY

➢ प्रथम वित आयोग के अध्यक्ष – K. K. गोयल
➢ वर्तमान वित आयोग के अध्यक्ष – प्रद्युम्न सिंह
➢ वर्तमान वित आयोग के सदस्य – लक्ष्मणसिंह रावत, अशोक लाहोटी

कार्य

➢ राज्य द्वारा संग्रहित कर, शुल्क, फीस का राज्य व पंचायतो के मध्य वितरण।
➢ राज्य संचित निधि से पंचायतो को अनुदान की सिफारिश।
➢ राज्य की वितीय स्थिति सुदृढ़ करने के सिफारिश।

राजस्थान में पंचायती राज

बिन्दु	जिला परिषद	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत
वर्तमान संख्या	33	352	11341
राजनीतिक प्रमुख	जिला प्रमुख व जिला परिषद सदस्य	प्रधान व पंचायत समिति सदस्य	सरपंच व वार्ड पंच
प्रशासनिक प्रमुख	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	बीडीओ	ग्राम विकास अधिकारी
चुनाव पद्धति	जिला प्रमुख का चुनाव – अप्रत्यक्ष एवं जिला परिषद सदस्य का चुनाव– प्रत्यक्ष	प्रधान – अप्रत्यक्ष सदस्य – प्रत्यक्ष	सरपंच – प्रत्यक्ष पंच – प्रत्यक्ष
त्याग पत्र	जिला प्रमुख – संभागीय आयुक्त व जिला परिषद सदस्य – जिला प्रमुख	प्रधान – जिला प्रमुख सदस्य – प्रधान	सरपंच व वार्ड पंच – बीडीओ

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य –

➢ सर्वप्रथम ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा – बीकानेर (1928)
➢ जिला आयोजना समिति का प्रावधान – (अनुच्छेद 243 Z (D))
➢ राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 121 में भी इस समिति का प्रावधान है।
➢ इसकी अध्यक्षता जिला प्रमुख द्वारा की जाती है।
➢ इसके सदस्य – 25 (20 स्थानीय निकाय + 3 पदेन – कलक्टर, सीईओ, एसीईओ + 2 मनोनीत राज्यसरकार द्वारा)

Springboard ACADEMY

- हरलालसिंह खर्रा समिति की सिफारिश पर जिला प्रमुख को DRDA का अध्यक्ष बनाया गया।
- प्रथम जिला प्रमुख – चौधरी लिखमाराम
- शैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रावधान – 2014 में प्रारम्भ व 2019 में समाप्त।

नगरीय स्थानीय स्वशासन

विकासः—

- 1687 में मद्रास नगर निगम की स्थापना।
- 1793 में मद्रास,कलकता, मुम्बई में महानगर निगम की स्थापना।
- जून 1993 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।
- संविधान में नया भाग – 9A, शीर्षक – नगर पालिका, 243 (P) से 243 (ZG) तक प्रावधान।
- 12वीं अनुसूची में 18 विषय जोड़े गये।

स्थानीय निकायों के प्रकारः—

अधिसूचित क्षेत्र समिति :—

- इसका निर्माण सरकारी आदेश के किया जाता है न की विधान मण्डल द्वारा।
- इसके सदस्य मनोनीत होते है।
- इसकी स्थापना को राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है।
- राजस्थान में माउण्ट आबू, आमेर, पुष्कर अधिसूचित क्षेत्र समिति थे जिन्हें 1993 में समाप्त कर दिया गया।

छावनी मण्डल

- इसका गठन वहां पर किया जाता है जहां सैनिक बस्ती व नागरिक बस्ती एक स्थान पर हो।
- भारतीय छावनी मण्डल अधिनियम 1924 में पारित किया गया तथा 2006 में इसमें संशोधन किये गये।
- यह रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
- इसमें नामित व निर्वाचित दोनो प्रकार के सदस्य होते है।
- निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल – 3 वर्ष
- अध्यक्ष – सैन्य अधिकारी

न्यास पत्तनः—

- बड़े बन्दरगाहों पर गठन किया जाता है। जैसे – मुम्बई, कलकता, चेन्नई

उद्देश्यः—

- बंदरगाह की सुरक्षा व व्यवस्था।
- नागरिक सुविधाएँ प्रदान करना।

Springboard ACADEMY

74वें संविधान संशोधन की विशेषताएँ

- वार्ड समितियों का गठन (अनुच्छेद – 243(S)) :– 3 लाख जनसंख्या पर 1 वार्ड समिति का गठन
- कार्यकाल – 5 वर्ष
- राज्य निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 243(ZA))
- राज्य वित आयोग (अनुच्छेद 243(Y))
- महानगरीय योजना समिति (अनुच्छेद 243(ZE))

राजस्थान में ढाँचा

बिन्दू	नगर निगम	नगर परिषद	नगर पालिका
जनसंख्या	5 लाख से अधिक	1 से 5 लाख	1 लाख तक
अध्यक्ष	महापौर	सभापति	अध्यक्ष
प्रशासनिक प्रमुख	आयुक्त	आयुक्त	अधिशासी अधिकारी
सदस्य	पार्षद	पार्षद	पार्षद

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य :–

- राजस्थान की प्रथम नगरपालिका – 1864
- राजस्थान में छावनी परिषद – नसीराबाद

Springboard ACADEMY